(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

RBA No. 96 /2020
GST Circular No. 52 /2020

No. 2018/AC-II/1/52

31st December, 2020

General Managers,
All Zonal Railway/Production Units

Sub: Submission of GST Annual Return for Financial Year 2019-20

Ref: Railway Board's letter dated 6thNovember 2020 (RBA No. 87/2020)

Railway Board vide letter ibid. had highlighted due date for filing of annual return under FORM GSTR-9 for Financial Year (FY) 2019-20. Pursuant to such letter, the hitherto notified date was 31st December 2020. Now, Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC), vide Notification No. 95/2020-Central Tax dated 30th December 2020, has extended the aforementioned time limit to **28th February 2021**. Thus, annual return under the amended FORM GSTR-9 (shared vide letter ibid) for FY 2019-20 can be filed by such revised date.

In light of such extension in filing of annual return, all Principal Railways are requested to ensure GST compliances in consultation with their GST consultants. PDF version of FORM GSTR-9 filed by Principal Railways may be sent through mail at v.prakash@nic.in.

(V.Prakash)
Joint Director/Accounts
Railway Board

Copy to:-

1. All EDs, ED level empowered Committee, Railway Board
2. All Directors, Director level GST Cell, Railway Board.
3. PFAs, All Zonal Railways and Production Units.
4. GM/Finance/GSTM, GM/AIMS, CRIS.

भारत सरकार(Government of India)

रेल मंत्रालय(Ministry of railways)

रेलवे बोर्ड(Railway Board)

आरबीए सं. 96/2020

जीएसटी परिपत्र सं. 52/2020

31 दिसंबर, 2020

सं.2018/एसी-II/1/52

महाप्रबंधक,

सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय : वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न जमा करने के संबंध में।

संदर्भ : रेलवे बोर्ड का दिनांक 6 नवंबर 2020 का पत्र (आरबीए सं. 87/2020)

रेलवे बोर्ड के उक्त पत्र के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटीआर-9 फॉर्म के अधीन वार्षिक रिटर्न भरने की नियत तिथि बताई गई थी। उस पत्र के अनुसरण में, अब तक अधिसूचित तिथि 31 दिसंबर, 2020 थी। अब, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड द्वारा दिनांक 30 दिसंबर, 2020 की अधिसूचना सं. 95/2020-केंद्रीय के तहत पूर्वोक्त समय सीमा 28 फरवरी, 2021 तक बढ़ा दी गई है। अत: वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटीआर-9 फॉर्म (उक्त पत्र के तहत सांझा किया गया) के अधीन वार्षिक रिटर्न संशोधित तारीख तक भरी जा सकती है।

वार्षिक रिटर्न भरने की बढ़ी हुई समय-सीमा को देखते हुए, सभी प्रधान रेलों से अनुरोध है कि वे अपने जीएसटी परामर्शदाताओं के परामर्श से जीएसटी अनुपालनाएं सुनिश्चित करें। प्रधान रेलों द्वारा भरे गए जीएसटीआर-9 फॉर्म का पीडीएफ रूपांतर v.prakash@nic.in पर मेल द्वारा भेजा जाए।

(वी.प्रकाश)
संयुक्त निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. सभी कार्यपालक निदेशक, कार्यपालक निदेशक स्तर की सशक्त समिति, रेलवे बोर्ड।
2. सभी निदेशक, निदेशक स्तर का जीएसटी सेल, रेलवे बोर्ड।
3. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी ज़ोनल रेलें और उत्पादन इकाइयां।
4. महाप्रबंधक/वित्त/जीएसटीएम, महाप्रबंधक/एआईएमएस, क्रिस।